1 —

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

नीलामी की शर्तें

जिला पंचायत कोरिया द्वारा निर्मित व्यावसायिक परिसर छिन्दडांड के अन्तर्गत निर्मित दुकानों की नीलामी की शर्तें :–

1. दुकानों की नीलामी कलेक्टर महोदय द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया की उपस्थिति एवं देख रेख में की जावेगी।
2. दुकानों की नीलामी छत्तीसगढ़ पंचायत (स्थावर सम्पति का अंतरण) नियम 1994 के के नियमों के शर्तों के अधीन होगी।
3. निर्मित 16 दुकानों में आरक्षण नियम अनुसार 9 दुकान अनुसूचित जनजाति, 1 दुकान अनुसूचित जाति, 2 दुकान अन्य पिछड़ा वर्ग, 4 दुकान अनारक्षित हेतु आरक्षित है। जिसमें अनुसूचित जनजाति महिला हेतु 3 दुकान, अनुसूचित जनजाति विकलांग हेतु 1 दुकान, अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक हेतु 1 दुकान, अ0पि0व0 महिला हेतु 1 दुकान एवं अनारक्षित महिला हेतु 1 दुकान आरक्षित है।
4. दुकानों की नीलामी क्रमवार एक–एक दुकानवार की जावेगी। प्रत्येक दुकान के लिये बोली लगाने के पूर्व पृथक–पृथक निर्धारित रूपये 8000/– अमानत राशि जमा करनी होगी।
5. मासिक किराया प्रति दुकान रूपये 1300/– निर्धारित है। तीन वर्ष बाद निर्धारित कराये में 10 प्रतिशत वृद्धि की जावेगी।
6. दुकानों की नीलामी 7 वर्ष की अवधि के लिये होगी नीलामी बोली की स्वीकृति राशि जिला पंचायत कोरिया की निधि होगी जिसे वापस नहीं लौटाया जावेगा। नीलामी की अवधि 7 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः किरायेदार को दुकान की अवधि वृद्धि हेतु अनुबंध करना होगा। इस राशि के अतिरिक्त निर्धारित मासिक किराया प्रतिमाह देय होगा।
7. किरायेदार द्वारा किराया प्रतिमाह 10 तारीख तक जमा करना होगा। अन्यथा किरायेदार को देय राशि पर 6.25 प्रतिशत मासिक दर से ब्याज देना होगा।
8. दुकान की छत पर किरायेदार को कोई अधिकार नहीं होगा। दुकान में किसी भी प्रकार की क्षति होने पर जिला पंचायत कोरिया को किरायेदार से क्षति प्राप्त करने का अधिकार होगा।
9. दुकानों की नीलामी में जिला कोरिया क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही सम्मिलित हो सकेंगे जिला की प्रचलित मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाता/सक्षम अधिकारी द्वारा कोरिया जिले का निवासी होने का जारी निवास प्रमाण पत्र ही जिले के स्थानीय निवासी माने जावेंगे।
10. जिला पंचायत कोरिया के किसी भी मद में बकाया कर/फीस वाले बकायादार नीलामी में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
11. बोली लगाने के पूर्व प्रत्येक इच्छुक बोलीकर्ता को निर्धारित अमानत की राशि रूपये 8000/– (आठ हजार) नगद में नीलामी संचालनकर्ता अधिकारी के पास जमा करनी होगी, प्रत्येक दुकान के लिये पृथक–पृथक अमानत राशि जमा करनी होगी।

12. प्रत्येक दुकान के लिये न्यूनतम रूपये 55000/– (पचपन हजार) निम्नतम शासकीय बोल निर्धारित की गई है पंचायत द्वारा पुष्टिकरण किये जाने के अधीन उच्च बोली स्वीकार की जावेगी।
13. वह व्यक्ति जिसकी बोली स्वीकार की जावेगी उसे नीलाम दुकान की पच्चीस प्रतिशत राशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के ठीक पश्चात जमा करना अनिवार्य होगा इस राशि में पूर्व प्रदत्त अमानत राशि रूवये 8000/– का समायोजन किया जावेगा, यदि वह व्यक्ति इस शर्त द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार नीलामी मूल्य की पच्चीस प्रतिशत राशि का निक्षेप राशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा नीलामी बोली लगाने हेतु जमा की गई अग्रिम जमा राशि जिला पंचायत के पक्ष में समपहृत कर लिया जावेगा और नीलामी रद्द किया गया समझा जावेगा।
14. नीलामी की पुष्टिकरण की सूचना अधिसूचित किये जाने की तीस दिन के भीतर नीलामी स्वीकृत बोली की शेष राशि जिला पंचायत में जमा करना अनिवार्य होगा तथा स्वयं के व्यय पर पंजीकृत आंतरण विलेख निष्पादित करना होगा यदि बोली के पुष्टिकरण के तीस दिवस के भीतर अवशेष रकम जमा नहीं की गई तो जमा की गई पच्चीस प्रतिशत राशि जिला पंचायत के पक्ष में समपहृत कर ली जावेगी और नीलामी निरस्त कर दी जावेगी तथा पुनः नीलामी की कार्यवाही की जावेगी।
15. असफल बोली लगाने वालों को जमा की गई अमानत राशि लौटा दिया जावेगा।
16. दुकान के संरचना में फेरबदल करने का अधिकार नहीं होगा।
17. दुकान के बिजली देयक आदि का भुगतान स्वयं किरायेदार को करना होगा।
18. किरायेदार को दुकान में मांस, मछली, मदिरा के विक्रय की अनुमति नहीं होगी, इसी प्रकार फटाका या अन्य प्रकार के विस्फोटक सामग्री का निर्माण व विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
19. किरायेदार दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण करने का अधिकारी नहीं होगा।
20. नीलाम दुकानों का पूर्ण स्वामित्व जिला पंचायत कोरिया का होगा किरायेदार को जिला पंचायत द्वारा समय–समय पर प्रदत्त निर्देशों व आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
21. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षित व्यक्तियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
22. यदि दुकान किसी भी कारणों से क्षतिग्रस्त होगी तो किरायेदार से जिला पंचायत द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि भू–राजस्व के बकाया की भांति की जावेगी।
23. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला पंचायत को निर्णय/आदेश अंतिम व बंधनकारी होगा।
24. उल्लेखित शर्तों का पालन न करने की स्थिति में जिला पंचायत एक माह पूर्व की सूचना देकर दुकान खाली करा सकेगी।
25. विवाद की स्थिति में जिला पंचायत की सामान्य सभा/सामान्य प्रशासन समिति का निर्णय अंतिम होगा व किरायेदार उसे मानने हेतु बाध्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

नीलामी सूचना

क्र./2669 A/जि.पं./बी.आर.जी.एफ./दु.आबंटन/2015 बैकुण्ठपुर दिनांक 30/7/2015

एतद् द्वारा जन साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत कोरिया द्वारा व्यवसायिक परिसर छिन्दडांड, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में निर्मित 12 दुकानों की नीलामी सार्वजनिक घोष द्वारा दिनांक 17/08/2015 दोपहर 12.00 बजे दिन से जिला पंचायत कार्यालय कोरिया में की जावेगी। नीलामी की जाने वाली प्रस्तावित दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	दुकान का स्थल	दुकानों की संख्या	दुकान क्रमांक	दुकानों का आकार	मासिक किराया (रू.)	आफसेट प्राईज (रू.)	अमानत राशि (रू.)	आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	व्यसायिक परिसर छिन्दडांड	08	1	3X3.60	1300.00	55000.00	8000.00	अजजा
2			2	3X3.60	1300.00	55000.00	8000.00	अनारक्षित
3			3	3X3.60	1300.00	55000.00	8000.00	अजजा (वि.)
4			6	3X3.60	1300.00	55000.00	8000.00	अजजा (म.)
5			7	3X3.60	1300.00	55000.00	8000.00	अनारक्षित
6			10	3X3.60	1300.00	55000.00	8000.00	अजजा
7			11	3X3.60	1300.00	55000.00	8000.00	अजजा (म.)
8			13	3X3.60	1300.00	55000.00	8000.00	अजजा (भू.पू.सै.)

दुकानों की नीलामी की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत (स्थावर सम्पत्ति का अवतरण) नियम 1994 के नियमों व प्रक्रिया के तहत की जावेगी। इस संबंध में निर्धारित शर्तें कार्यालय जिला पंचायत कोरिया में कार्यालयीन दिवसों में देखी जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया

पृ.क्र./2669B/जि.पं./बी.आर.जी.एफ./दु.आबंटन/2015 बैकुण्ठपुर दिनांक 30/7/2015

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, कोरिया की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संपादक .... को प्रकाशनार्थ ।
3. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया